



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आषाढ़, 1945 (श०)

संख्या - 383 राँची, सोमवार,

3 जुलाई, 2023 (ई०)

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

(समन्वय)

अधिसूचना

3 जुलाई, 2023

संख्या-सी.एस.-01/आर.-02/2019 866--भारत के संविधान के अनुच्छेद 166(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान के अधीन बनी कार्यपालिका नियमावली-2000 के नियम 6(1) के अनुसार, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग की अधिसूचना संख्या-10, दिनांक-03.01.2020, अधिसूचना संख्या-118, दिनांक-29.01.2020, अधिसूचना संख्या-1283, दिनांक-05.11.2020, अधिसूचना संख्या-158, दिनांक-05.02.2021 एवं अधिसूचना संख्या-735, दिनांक-28.07.2021 द्वारा आवंटित कार्यों में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्यमंत्री झारखण्ड की सलाह से, झारखण्ड के राज्यपाल, सरकार के विभागों का कार्य निम्नलिखित रूप से आवंटित करते हैं-

क्र.	मुख्यमंत्री/मंत्री का नाम	विभाग का नाम
1.	श्री हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री	पूर्व में आवंटित विभागों के अतिरिक्त स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
2.	श्रीमती बेबी देवी, मंत्री	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

2. इस संबंध में, पूर्व में निर्गत अधिसूचना द्वारा आवंटित सरकार के विभागों का शेष कार्य यथावत् रहेंगे।

3. इसे तत्काल प्रभाव से प्रभावी समझा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव।
